अधिसूचना संख्या 172/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1959(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1140(ई) दिनांक 18 नवंबर, 1999 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 3 पर, "श्रीकाकुलम वयोधिकुला संघम, (श्रीकाकुलम एल्डर्स एसोसिएशन), डी. सं. 7-6-44, बुरावारी थोटा, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश-532001" द्वारा "श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में वृद्धाश्रम परिसर के लिए भवन का निर्माण" को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.975(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2002 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 388(ई) दिनांक 23 अक्टूबर, 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1503(ई) दिनांक 7 सितम्बर, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.2056(ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1072(ई) दिनांक 14 मई, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 529(ई) दिनांक 9 मई, 2003 द्वारा अनुमानित लागत को 23.93 लाख रुपये से बढ़ाकर 23.93 लाख रुपये तथा 15.00 लाख रुपये की एक कोष निधि कर दिया गया था और अधिसूचना संख्या 388(ई) दिनांक 23 मार्च, 2005 द्वारा अनुमानित लागत को 23.93 लाख रुपये तथा 15.00 लाख रुपये की एक कोष निधि से बढ़ाकर 23.93 लाख रुपये तथा 20.00 लाख रुपये की एक कोष निधि कर दिया गया था और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2056(ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 द्वारा अनुमानित लागत को 23.93 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपये की एक कोष निधि से बढ़ाकर 30 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपये की एक कोष निधि कर दिया गया था;

और चूंकि उक्त परियोजना या योजना का विस्तार सोलह वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि परियोजना की लागत भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और 20 लाख रुपये के कॉर्पस फंड से बढ़कर 60 लाख रुपये होने की संभावना है, साथ ही भवन के निर्माण के लिए 40 लाख रुपये का कॉर्पस फंड भी है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और 20 लाख रुपये की कॉर्पस निधि से संशोधित कर भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपये और 40 लाख रुपये की कॉर्पस निधि करने की सिफारिश की गई;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) "श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में वृद्धाश्रम परिसर के लिए भवन का निर्माण" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "श्रीकाकुलम वयोधिकुला संघम, (श्रीकाकुलम एल्डर्स एसोसिएशन), डी. संख्या. 7-6-44, बुरावारी थोटा, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश-532001" द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में किया जा रहा है और;

(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1140(ई) दिनांक 18 नवम्बर, 1999 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में दी जाने वाली

अधिकतम राशि से संबंधित, क्रम संख्या 3 के सामने की तालिका में, कॉलम (4) में, "भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपये की एक कॉर्पस निधि" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर, "भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपये तथा 40 लाख रुपये की एक कॉर्पस निधि" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

■■